(2)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्ष एस.एस.अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक पुनरीक्षण 96/पी.बी.आर/1987 विरूद्ध आदेश दिनांक 14.08.1987 द्वारा अतिरिक्त कमिश्नर रीवा संभाग रीवा प्रकरण क्रमांक 342/ए–6/1981–82

जनता मौजा कुवां द्वारा प्रतिनिधी

1 रामकरण बल्द राम नारायण

2 बाबूलाल बल्द कौशल प्रसाद

सभी निवासी – ग्राम कुवां तहसील रघुराज नगर

जिला – सतना म.प्र. ..... आवेदकगण

विरूद्ध

1 मध्य प्रदेश शासन

2 ललऊलाल बल्द शिवबालक

मुस. प्यारीबाई बेवा जानकी प्रसाद मृत

द्वारा वारिसान

3 रम्मी बाई पत्नी रामलखन

4 सेम्मी बाई (श्यामकली) पत्नी शिव बालक प्रसाद

निवासी – बिलासपुर छत्तीसगढ़

5 महेन्द्र प्रसाद बल्द रामऔतार

6 सुरेन्द्र प्रसाद बल्द रामऔतार

निवासीगण – ग्राम कुवां तहसील रघुराज नगर,

जिला – सतना म.प्र. ..... अनावेदकगण

सूचना उपरान्त अनुपस्थित ---आवेदकगण

सुनील सिह जादौन अभिभाषक अनावेदक क्रमांक 2 एवं 4, 5

के.के.द्विवेदी अभिभाषक अनावेदक क्रमांक 3 के वारिसान

!! आदेश !!

(आज दिनांक 02-7-18.)

यह पुनरीक्षण आवेदकगण द्वारा अतिरिक्त कमिश्नर रीवा संभाग रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 382/ए–6/1981–86 में पारित आदेश दिनांक 14.08.1987 के विरूद्व म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी नं. 500 रकवा 29.52 डि. 1182 रकवा 1.76 डि. 1119 रकवा 3.70 डि. 1120 रकवा 3.60 डि. कुल रकवा 43.26 डि. बाके मौजा कुवां तहसील रघुराज नगर जिला सतना में वर्षो पुराना एक काफी बडा तलाब है, जिसमें जनता मौजा कुवां, नीमी, पोइधा कई गॉव के लगभग 10,000/– आबादी के लोगो का निस्तार काफी पूर्व से होता चला आ रहा है उक्त आबादी के लोगो के पास पानी का साधन इस तालाब के अलावा कुछ नहीं है। इसी तालाब में सन् 1967 में शासन के द्वारा सिंचाई हेतु नहर का निर्माण किया गया जिससे उक्त गॉव की सिंचाई होती है, पवाई उन्मूलन के पूर्व यह तालाब अनावेदक के नाम था। परन्तु दिनांक 19.03.1961 को अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर के आदेश के अन्तर्गत धारा 251 म.प्र. भूराजस्व संहिता के तहत् उक्त तालाब शासकीय किया गया। अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर द्वारा जनता को सुनवाई का अवसर दिये बिना अधिकार क्षेत्र के दिनांक 07.02.1970 को पुनः अपने पूर्व आदेश दिनांक 24.03.1961 को बदलकर उक्त तालाब अनावेदकगण के नाम किये जाने का आदेश दिया। अनुविभागीय अधिकारी, रघुराजनगर

को इस तरह अपने पूर्व आदेश दिनांक 24.03.1961 को पुर्नविलोकन करने का कोई अधिकार नही था। फलस्वरूप जनता द्वारा न्यायालय जिलाध्यक्ष सतना के यहाँ निगरानी दायर किया। तथा निगरानी प्रकरण क्रमांक 86ए1/71–72 आदेश दिनांक 15.06.1973 के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 07.02.1970 निरस्त किया जाकर तालाब को शासकीय दर्ज किये जाने का आदेश हुआ। जिलाध्यक्ष के आदेश दिनांक 15.06.1973 के विरूद्व अतिरिक्त आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष निगरानी दायर की गयी जिसमें निगरानी प्रकरण क्रमांक 598/1972–73 आदेश दिनांक 31.01.1975 को न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा अनावेदकगण की निगरानी निरस्त की गयी साथ ही यह फाइनडिंग दी गयी कि अनावेदक चाहे तो अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 24.03.1961 को स्वीकृति प्राप्त कर पुर्नाविलोकन किया जा सकता है, जिसमें अवधि का प्रश्न नहीं रहेगा।

अनावेदक ने अतिरिक्त आयुक्त रीवा के उक्त आदेश दिनांक 31.01.1975 के विरूद्व राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी प्रकरण क्रमांक 173/चार/75 आदेश दिनांक 29.01.1977 को निगरानी निरस्त की गयी। जनता द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, रघुराजनगर के समक्ष एक आवेदन पत्र जिलाध्यक्ष के आदेश दिनांक 15.06.1973 इतलावी तालाब शासकीय दर्ज करने हेतु आवेदन किया। अनावेदक को इसकी जानकारी हुयी अनावेदक द्वारा अतिरिक्त आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के आदेश दिनांक 31.01.1975 में दी गयी। फाईनडिंग के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी के पूर्व दिनांक 24.03.1961 के पुर्नाविलोकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया अनुविभागीय अधिकारी, रघुराजनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 6/बी–121/1979–80 आदेश दिनांक 16.01.1980 को इतलावी

तालाब शासकीय दर्ज करने का आदेश पारित करते हुये अनावेदक के पुर्नाविलोकन के आवेदन पत्र पर अग्रिम कार्यवाही हेतु आदेश दिया गया। अनावेदक ने उक्त आदेश के विरूद्ध अतिरिक्त जिलाध्यक्ष सतना के समक्ष निगरानी दायर की। अतिरिक्त जिलाध्यक्ष सतना द्वारा प्रकरण क्रमांक 25/बी–121/1979–80 आदेश दिनांक 30.01.1980 द्वारा अनावेदक की निगरानी स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 16.01.1980 निरस्त किया गया। आवेदकगण ने अतिरिक्त जिलाध्यक्ष सतना के आदेश दिनांक 30.01.1980 के विरूद्ध निगरानी न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त रीवा संभाग रीवा के यहॉ दायर की अतिरिक्त आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा निगरानी प्रकरण क्रमांक 382/ए–6/1980–82 आदेश दिनांक 14.08.1987 द्वारा आवेदकगण की निगरानी निरस्त की गयी जिसके विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रकरण क्रमांक 96/पी.बी.आर./1987 प्रस्तुत की गयी थी। जो पारित आदेश दिनांक 03.09.2005 से स्वीकार की गयी तत्पश्चात् अनावेदक ललऊराम द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका क्रमांक 8561/2006 प्रस्तुत की गयी थी। जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 02.03.2015 से स्वीकार कर माननीय न्यायालय को प्रकरण में पुनः सुनवाई कर आदेश पारित करने हेतु आदेशित किया गया है। इस क्रम में वर्तमान प्रकरण में सुनवाई की गयी है।

3– उपरोक्त प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका क्रमांक 8561/06 में स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि उभय पक्ष तारीख पेशी दिनांक 6 अप्रैल 2015 को न्यायालय राजस्व मण्डल के समक्ष उपस्थित हो। ऐसी स्थिति में उभय पक्षो का कर्तव्य था कि वह उपरोक्त दिनांक को इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होते चूकि इस प्रकरण में आवेदकगण

की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ बल्कि अनावेदक क्रमांक 3 की ओर से अभिभाषक के.के.द्विवेदी उपस्थित हुये और उन्होने एक आवेदन पत्र मुस0 प्यारीबाई के मुत्यु हो जाने पर उसके स्थान पर उसकी पुत्री सेम्मीबाई (श्यामकली) को पक्षकार बनाये जाने बावत् प्रस्तुत किया जो आदेश दिनांक 30.09.2015 से स्वीकार किया गया।

आवेदक के अभिभाषक प्रकरण में उपस्थित नहीं हुये है इसलिये उपरोक्त प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किया जा रहा है, अनावेदक अभिभाषक की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया है, कि प्रकरण में विवादित भूमि उनके स्वत्व, स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि है, जिसके संबंध में अनुविभागीय अधिकारी, रघुराजनगर के आदेश दिनांक 24.03.1961 से शासकीय किया गया है तत्पश्चात् अपने आदेश दिनांक 07.02.1970 से पुनः अपने पूर्व आदेश दिनांक 24.03.1960 को निरस्त कर तालाब अनावेदकगण के नाम दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया, जिसके विरूद्व जिलाध्यक्ष के यहॉ आवेदकगण के द्वारा निगरानी दायर की गयी और आदेश दिनांक 15.06.1973 से निगरानी स्वीकार कर तालाब को शासकीय दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया। इसके विरूद्व अनावेदकगण द्वारा अतिरिक्त आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा को निगरानी प्रस्तुत की गयी जो आदेश दिनांक 31.01.1975 को निरस्त कर दी गयी। साथ ही यह आदेशित किया गया कि यदि अनावेदक चाहें तो अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 24.03.1961 को स्वीकृति प्राप्त कर पुर्नाविलोकन किया जा सकता है जिसमें अवधि का प्रश्न नही रहेगा। अनावेदक ने अतिरिक्त आयुक्त, रीवा के आदेश के विरूद्व इस न्यायालय में निगरानी क्रमांक 173/चार/1975 प्रस्तुत की गयी दिनांक 29.01.1977

को निरस्त कर दी गयी। जनता द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष जिलाध्यक्ष आदेश दिनांक 16.06.1973 इतलाबी सरकारी दर्ज करने हेतु प्रस्तुत किया। अनावेदक को जैसे ही इसकी जानकारी हुयी तो उन्होने अतिरिक्त आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के आदेश दिनांक 31.01.1975 में दी गयी फाईनडिंग के आधार पर पूर्व आदेश दिनांक 24.03.1961 के, पुर्नविलोकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। और आदेश दिनांक 16.01. 1980 को इतलाबी तालाब शासकीय दर्ज करने का आदेश पारित करते हुये अनावेदक के पुर्नाविलोकन आवेदन पत्र पर अग्रिम कार्यवाही करने हेतु आदेश दिया। इस आदेश के विरूद्व जिलाध्यक्ष को निगरानी प्रस्तुत की गयी जो आदेश दिनांक 30.01.1980 से स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 16.01.1980 निरस्त किया गया। इसके विरूद्व आवेदकगण ने अतिरिक्त जिलाध्यक्ष महोदय के आदेश के विरूद्व निगरानी अतिरिक्त आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष दायर की गयी जो आदेश दिनांक 14.08.1987 से निरस्त कर दी गयी। जिसके विरूद्व इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान निगरानी प्रस्तुत की गयी जिसमें आदेश दिनांक 03.09.2005 पारित किया गया, जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 02.03.2015 निरस्त कर इस न्यायालय को आदेश पारित करने हेतु निर्देशित किया गया है। चूकि इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष थे, अतः ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय द्वारा पारित पूर्व आदेश दिनांक 03.09.2005 निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में वर्तमान निगरानी निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

5– प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा विद्वान अभिभाषक के तर्कों पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालयों

के आदेश एवं इस न्यायलय द्वारा पारित पूर्व आदेश का सूक्ष्म अध्ययन किया गया। विवादित भूमि तालाब पूर्व अभिलेखों के अनुसार अनावेदकगण के स्वत्व, स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि थी जिसपर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 24.03.1961 से शासकीय कर दिया गया था। तत्पश्चात् अपने आदेश दिनांक 07.02.1970 से पुनः अपने पूर्व आदेश दिनांक 24.03.1960 को निरस्त कर तालाब अनावेदकगण के नाम दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया जिसके विरूद्व जिलाध्यक्ष के यहाँ आवेदकगण के द्वारा निगरानी दायर की गयी और आदेश दिनांक 15.06.1973 से निगरानी स्वीकार कर तालाब को शासकीय दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया। इसके विरूद्व अनावेदकगण द्वारा अतिरिक्त आयुक्त को निगरानी प्रस्तुत की गयी जो आदेश दिनांक 31.01.1975 निरस्त कर दी गयी, साथ ही यह आदेशित किया गया कि यदि अनावेदक चाहे तो अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 24.03.1961 को स्वीकृति प्राप्त कर पुर्नाविलोकन किया जा सकता है जिसमें अवधि का प्रश्न नही रहेगा। अनावेदक ने अतिरिक्त आयुक्त, रीवा के आदेश के विरूद्व इस न्यायालय में निगरानी क्रमांक 173 चार/1975 प्रस्तुत की गयी दिनांक 29.01.1977 को निरस्त कर दी गयी। जनता द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष जिलाध्यक्ष आदेश दिनांक 16.06.173 इतलाबी सरकारी दर्ज करने हेतु प्रस्तुत किया। अनावेदक को जैसे ही इसकी जानकारी हुयी तो उन्होने अतिरिक्त आयुक्त, रीवा संभाग रीवा के आदेश दिनांक 31.01.1975 में दी गयी फाईनडिंग के आधार पर पूर्व आदेश दिनांक 24.03.1961 के पुर्नाविलोकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। और आदेश दिनांक 16.01.1980 को इतलाबी तालाब शासकीय दर्ज करने का आदेश पारित करते हुये

अनावेदक के पुर्नाविलोकन आवेदन पत्र पर अग्रिम कार्यवाही करने हेतु आदेश दिया। इस आदेश के विरूद्ध जिलाध्यक्ष को निगरानी प्रस्तुत की गयी जो आदेश दिनांक 30.01.1980 से स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 16.01.1980 निरस्त किया गया। इसके विरूद्ध आवेदकगण ने अतिरिक्त जिलाध्यक्ष महोदय के आदेश के विरूद्ध निगरानी अतिरिक्त आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष दायर की गयी जो आदेश दिनांक 14.08.1987 से निरस्त कर दी गयी। जिसके विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान निगरानी प्रस्तुत की गयी जिसमें आदेश दिनांक 03.09.2005 पारित किया गया जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 02.03.2015 निरस्त कर इस न्यायालय को आदेश पारित करने हेतु निर्देशित किया गया है। चूकि इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयो के समवर्ती निष्कर्ष थे अतः ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय द्वारा पारित पूर्व आदेश दिनांक 03.09.2005 निरस्त किये जाने योग्य है। क्योंकि समवर्ती निष्कर्षो को पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिये इस संबंध में 1914 आर.एन.227, 1912 आर. एन 219, 409, 391, 1986 आर.एन उच्च न्या. 1998 आर.एन. 418 उच्च न्या. 2008 आर.एन 91 उच्च न्या. के न्यायदृष्टांत वर्तमान प्रकरण में लागू होते है। ऐसी स्थिति में जो आदेश इस न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित दिनांक 03.09.2005 पारित किया है स्थिर रखे जाने का कोई आधार नही है, चूकि यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी निरस्त कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में इस आदेश का कोई वैधानिक औचित्य भी नहीं है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर वर्तमान निगरानी निरस्त कर अतिरिक्त कमिश्नर, रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.08.1987 स्थिर रखे जाने के आदेश दिये जाते है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर